//नियम एवं शर्ते //

विषयः– जोन क0–3 संतोषी पारा में स्थित डॉ0 बी आर आम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को संचालन/प्रबंधन/संधारण में दिये जाने बाबत् ।

उक्त विषयांतर्गत् लेख है कि जोन क्रमांक – 03 संतोषी पारा में डॉ.बी आर आम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन निर्मात है उक्त भवन का संचालन तीनो पाली में चौकीदार, बिजली, पानी , साफ सफाई वार्षिक संधारण, नियमित आवश्यक संधारण कार्य आवश्यक है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ0ग0रायपुर के द्वारा डा0 बी आर अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन के नियम शर्तो के कंडिका 6 भवन का संचालन एवं संधारण की कंडिका (ब) में प्रावधानित किया गया है कि भवन के उपयोग हेतु दैनिक दरे नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित करने के उपरांत भवन के प्रबंधन/संचालन/संधारण के लिये निजी एजेंसी का चयन टेंडर आंमत्रित कर किया जा सकता है। इसके अतर्गत नगर निगम द्वारा दिसम्बर 2022 से दिसम्बर 2023 तक एजेसी द्वारा संचालन एवं संधारण किया गया है।

अतः शासन के द्वारा निर्धारित नियम शर्तो के परिपालन में मांगलिक भवन को मांगलिक /सांस्कृतिक/धार्मिक/ मृतक तथा अन्य ऐसे सभी कार्यक्रमो के लिये जिसके लिए शासन से प्रतिबंध न हो, आगामी वर्ष के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जुन 2026 तक 2 वर्ष के लिये पुनः संचालन एंव संधारण हेतु एजेसी को दिये जाने दर आफर सूचना जारी किया गया प्रस्तावित है, भवन में उपलब्ध सुविधाएँ निम्नानुसार हैः–

भूखण्ड का आकार :– 100X103 वर्ग मीटर (लगभग)

निर्मित **भवन** क्षेत्रफल –	भूतल –	9000 वर्ग फुट
	प्रथत तल –	8000 वर्ग फुट
	डोम शेड –	6000 वर्ग फुट
	डोम शेड हेतु भवन –	1000 वर्ग फुट
प्रशाधन युक्त कमरा	भूतल तल –	12 नग
	प्रथमतल –	13 नग
	रसोई घर –	01 नग
	स्टोर –	01 नग
डोम शेड के **लिए कमरा**	कमरा –	02 नग (प्रसाधन)
	उद्यान –	2200 वर्ग फुट
	पार्किंग –	अन्दर 29000 वर्ग फुट (लगभग)
		बाहर 6000 वर्ग फुट (लगभग)
	अहाता –	चारो तरफ पक्का आहाता

उक्त भवन को किराया पर देना है जो इच्छुक नागरिकों को निगम के निर्धारित दर पर किराये से दे सकते है । सामान्य नियम शर्ते निम्नानुसार है :–

नियम शर्ते एजेंसी के लिए :–

1. भवन/परिसर अन्दर बाहर पर्याप्त प्रकाश, पंखा, एक्जास्ट पंखा, पानी सफाई इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था एजेंसी को किया जाना होगा । पानी के लिये बोर की व्यवस्था है आवश्यकता होने पर एजेंसी नया बोर स्वयं के व्यय से करेगा ।
2. कमरो में ठंडकता बनाये रखने स्थायी रूप से कम से कम कुलर की व्यवस्था करना होगा ।
3. परिसर में स्थित उद्यान को हमेशा आकर्षक रखना होगा ।
4. पार्किंग की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना होगा ।
5. भवन /परिसर की समस्त प्रकार का नियमित संधारण/वार्षिक संधारण रंगरोगन इत्यादि कार्य एजेंसी को करना होगा ।
6. भवन को 2 वर्ष हेतु किराये (लीज) पर दिया जावेगा, जिसमे निगम के शर्त पर अधिकतम किराया की राशि नगर निगम को देने वाली एजेंसी को दिया जावेगा । प्रथम वर्ष के पश्चात् द्वितीय में 10% की दर से बढाकर किराया जमा करेगा ।
7. किराया की वार्षिक अनुबंध की राशि कार्यादेश के समय 50% की राशि , अगलें तिमाही में 25% एवं उसके अगले तिमाही में 25% की राशि जमा करना होगा । अन्यथा 18% की दर से अधिभार लगेगा एवं तृतीय माह तक जमा नहीं करने पर अनुबंध समाप्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जावेगा।
8. अनुबंध समाप्त होने के 7 दिवस में भवन खाली करना होगा अन्यथा समस्त सामग्री निगम जप्त कर लेगी ।
9. अनुबंध समाप्ति उपरान्त लगाये गये स्थायी व्यवस्था /प्रकाश व्यवस्था /पंखा /एक्जास्ट पंखा /कूलर इत्यादि तथा उद्यान , मार्ग , पार्किंग में लगे स्थायी व्यवस्था को जिसे एजेंसी ने लगाया हे उसे यथा स्थिति बनाये रखते हुए भवन खाली करेगा ।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था में लगे सामग्री को ले जा सकेगा ।
11. उल्लेखित व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यवस्था एजेंसी करना चाहती है , वह स्वतंत्र रहेगा ।
12. उल्लेखित कार्यक्रम में उपभोक्ता द्वारा स्थायी व्यवस्था के अतिरिक्त किराया भण्डार /अतिरिक्त प्रकाश इत्यादि का कार्य अनुबंधित एजेंसी से कराया जाना अनिवार्य होगा एवं केटरर्स का कार्य अनुबंधित एजेंसियो से या बाहर के किसी भी व्यक्ति से करा सकता है , यह बंधनकारी नहीं होगा ।
13. गरीबी रेखा एवं अंत्योदय राशन कार्ड में सम्मिलित परिवार के लोगो के लिए कुछ हिस्सा आरक्षित कर उन्हे भवन की सुविधा का लाभ देने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा।
    - भू–तल पर स्थित पश्चिम भाग के 4 कमरें तथा पार्किंग स्थल के कुछ हिस्से को पृथक से अंत्योदय परिवार को सार्वजनिक सामाजिक कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
    - "उक्त हिस्सा पहले आओं पहले पाओ" आधार पर पूर्व से आरक्षित कराये गए परिवार को निगम द्वारा निर्धारित किराए पर प्रतिदिन के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।
    - 4 कमरें एवं मैदान का किराया प्रतिदिन 5001/– रूपये होगा।
    - पूरे भवन की बुकिंग कराये जाने पर सामान्य लोगो के लिए निर्धारित किराए पर 20 प्रतिशत की छूट पर गरीबी रेखा अंत्योदय परिवार को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उपभोक्ता के लिए भवन का किराया निम्नानुसार होगा :–

	परिसर	किराया राशि		
		एक दिवस	द्वितीय दिवस	द्वितीय दिवस के पश्चात प्रत्येक दिवस
1	सम्पूर्ण परिसर	60,000=00	40,000=00	30,000=00

उक्त किराया में द्वितीय वर्ष में 10% किराया बढा सकता है ।

15. भवन परिसर में सी सी टी वी कैमरा नियुक्त एजेंसी द्वारा लगावाना अनिवार्य होगा ।

16. भवन का किराया निगम द्वारा निर्धारित अनुसार उपभोक्ता से ले सकेगा । अन्य सजावटो/सामग्री/व्यवस्था के लिए उनकी आपसी सहमति पर आधारित रहेगा । उसमें निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी।

17. उपभोक्ता से निर्धारित राशि में भी जीएसटी शामिल नहीं है उनसे भी पृथक से वसूली एजेंसी कर सकती है।

18. परिसर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या गैर कानूनी कार्य नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्त जवाबदारी एजेसी की होगी। न्यायालयीन वाद /पुलिस कार्यवाही के लिये एजेंसी स्वयं जवाबदार होगी ।

19. परिसर में शासन के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा ।

20 विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय मान्य होगा ।

21. शासन द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन के लिए भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

जोन आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय,नगर पालिक निगम,भिलाई
जोन– 3 मदरटेरेसा नगर

कार्य का नाम :– जोन क्रमांक 03 संतोषी पारा में स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को 2 वर्षो के लिये संचालन,/प्रबंधन/संधारण हेतु किराये पर दिये जाने बाबत् ।

//भाव पत्र //

क्र0	कार्य का विवरण	दर (दरें अंको एवं अक्षरों में दे) (प्रतिवर्ष)
1	जोन क्रमांक 03 संतोषी पारा में स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को 2 वर्षो के लिये संचालन,/प्रबंधन/संधारण हेतु किराये पर दिये जाने बाबत्। 02 वर्षो के लिये संलग्न नियम शर्तो के अनुसार ।	

एजेंसी का हस्ताक्षर

नाम : – ....

पता :– ....
....

मोबाईल न0:– ....

जोन आयुक्त
जोन –3
नगर पालिक निगम भिलाई